

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

कमांक 3/प0क0/सेल-1/2017/79

भोपाल, दिनांक 27-01-2017

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक  
मध्यप्रदेश ।

विषय:- अलिपिकीय सेवा भर्ती/पदोन्नति नियमानुसार 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु  
उपरांत सेवानिवृत्त की गई ए.एन.एम./एल.एच.व्ही. के पेंशन भुगतान बावत् ।

संदर्भ :- राज्य शासन का आदेश कमांक 2061/3569/2016/17/मेडि-1 दिनांक  
30.08.2016 ।

शासन के संदर्भित आदेशानुसार अलिपिकीय सेवा भर्ती/पदोन्नति नियमानुसार  
60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु उपरांत दिनांक 30.08.2016 को सेवानिवृत्त की गई ए.एन.  
एम. एवं एल.एच.व्ही. की पेंशन का निर्धारण किये जाने संबंधी कार्यवाही प्रचलन में है।  
अतः निर्देशित किया जाता है, कि जब तक इस बावत् शासन द्वारा अंतिम निर्णय नहीं  
लिया जाता, तब तक सेवानिवृत्त ए.एन.एम. एवं एल.एच.व्ही. को 60 वर्ष की उम्र पर देय  
राशि की गणना के आधार पर प्रत्याशित पेंशन नियमानुसार स्वीकृति किये जाने की  
कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जाये ।

(डॉ. राजीव सक्सेना)  
अतिरिक्त संचालक (वित्त)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 27-01-2017

पृ. कमांक 3/प0क0/सेल-1/2017/80

प्रतिलिपि :-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
मंत्रालय भोपाल ।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय ।
3. समस्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय ।
4. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश ।
5. प्रभारी, एम.आई.एस., विभागीय बेवसाइड पर अपलोड करें ।

अतिरिक्त संचालक (वित्त)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश